दिनांक – 10.11.2018 को श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची की अध्यक्षता में खूँटी जिले के बैठक से संबंधित कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री रंजीत कुमार लाल, अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, खूँटी।
3. श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी।
4. श्री रहमत अली, प्रभारी डी0एस0ई0, खूँटी।
5. डॉ0 रतन लाल मुण्डा, प्रभारी MTC, सदर अस्पताल, खूँटी।
6. श्री रोहित सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी।
7. डॉ0 रंजीत कुमार, प्रभारी MTC, तोरपा।
8. डॉ0 अंशुमन शर्मा, प्रभारी MTC, कर्रा।
9. डॉ0 रंजय कुमार बाला, प्रभारी MTC, मुरहू।

बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. श्री रतन लाल मुण्डा द्वारा बताया गया कि खूँटी में कुल छः MTC केन्द्र जो मुरहू, अड़की, रनिया, तोरपा, कर्रा एवं खूँटी में स्थापित है। उनसे अनुरोध किया गया कि MTC केन्द्रों में कैसे सुधार लाया जाय, इस पर अपना एक प्रतिवेदन आयोग को दें।

कई दवा कंपनियों/अन्य कंपनियाँ द्वारा इच्छा जाहिर की गई है कि वे CSR के अन्तर्गत एक MTC का संचालन कर सकते हैं। इसके लिये उनके पास एक औपचारिक प्रस्ताव प्रकलन के साथ भेजने की आवश्यकता है। डॉ0 रतन लाल मुण्डा, डॉ0 अंशुमन शर्मा एवं डॉ0 रंजय कुमार बाला के सहयोग से एक आदर्श MTC का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में भेजें।

2. डॉ0 रतन लाल मुण्डा ने बताया कि MTC संचालन की समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों की समन्वय आवश्यक है। समन्वय के अभाव में यह ठीक से नहीं चलता है।
3. डॉ0 रतन लाल मुण्डा एवं श्री सुरजीत कुमार सिंह दोनों संयुक्त रुप से दोनों विभागों के MTC के संचालन संबंधित सहिया, ANM, आंगनबाड़ी सेविका, समाज कल्याण पर्यवेक्षिका, CDPO एवं प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी की तुल्नात्मक निदेशों का अध्ययन करें। वें बताएँ कि इन निदेशों में क्या संशोधन किया जाय, जिससे कि MTC का संचालन ठीक से हो सके। वें यह प्रतिवेदन एक माह में दें।
4. श्री रंजीत कुमार लाल, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, खूँटी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015 एवं 2018 के कुपोषण से संबंधित आंकड़ों में अन्तर है। उनके द्वारा इसे सुधारने का अनुरोध किया गया।

कुपोषण के आंकड़े जो पूर्व में दिये गये थे। उसका स्त्रोत NFHS – 4 है। यह अन्तर किस वजह से है, इसकी विश्लेषण कर श्री रंजीत कुमार लाल बताएँ। उन्हें NFHS – 4 के आंकड़ों की प्रति बैठक में उपलब्ध कराई गई।

5. महाराष्ट्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में Hot Cook Meal का संचालन SHG द्वारा किया जा रहा है। इसे खूँटी में भी प्रयोग के तौर पर लागू किया जा सकता है।
6. श्री रोहित सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी ने सुझाव दिया कि जो दाल भात केन्द्र अच्छे ढंग से कार्यरत है, उनसे आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये गर्म खाना के लिये कार्य लिया जा सकता है।
7. अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से अनुरोध है कि प्रयोग के तौर पर इसे लागू करने के लिये उपायुक्त स्तर पर संबंधित अधिकारियों की विस्तृत बैठक कर इसका अनुपालन कराएँ।
8. समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के सरकारी पत्रों में कई विरोधाभाष हो सकता है। जिसका प्रभाव सम्बन्धित कार्यों पर पड़ता है।

ज्ञात है कि खूँटी जिला में आकांक्षी जिला के कार्यों में सहयोग के लिये निति आयोग के तरफ से एक परामर्शी कार्यरत है। श्री रंजीत कुमार अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के पत्रों के तुल्नात्मक अध्ययन के लिये वें परामर्शी सहयोग लें। वे बताएँ कि इन निदेशों में कौन – कौन विरोधाभाष है।

9. श्री रोहित सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी द्वारा बताया गया कि केरोसिन तेल का समय – समय पर Rate Revise होता है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी में भी Rate Revise करने की आवश्यकता है। उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपना सुझाव आयोग को भेजें।
10. पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति को Active करने हेतु उपायुक्त, खूँटी से अनुरोध किया गया। यदि मुखिया एवं वार्ड पार्षद द्वारा यदि सही ढंग से कार्य नहीं किया जाता है, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।
11. निदेश दिया गया कि जिस पंचायत अन्तर्गत राशन कार्ड रद्द होता है, तो उसी पंचायत अन्तर्गत नया राशन कार्ड भी बनाया जाय।
12. श्री रंजीत कुमार लाल, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं श्री रोहित सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खूँटी जिले में राशन कार्ड रद्द हुआ है, किन्तु निगरानी समिति कार्यशील नहीं है, उन्हें कार्यशील किया जाय।

13. प्ले स्कूल एवं आंगनबाड़ी को प्रयोग के तौर पर एक – दूसरे से टैग करने का निदेश दिया गया। प्ले स्कूल के बच्चे आंगनबाड़ी में आकर खाना खाएं बदले में उस स्कूल के शिक्षक आंगनबाड़ी के बच्चों को भी पढ़ाएँ।
14. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय को उपभोक्ता फोरम की भाँति विकसित करने का निदेश दिया गया। इसके लिये अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एक विस्तृत प्रस्ताव दें।

जिला उपभोक्ता फोरम प्रत्येक जिला में स्वतंत्र रुप से कार्यरत है। तुल्नात्मक रुप से ग्रामीण जनता के लिये जिला उपभोक्ता फोरम की उतनी सार्थकता नहीं है, जितना जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का। अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्वतंत्र कार्यालय की अति आवश्यकता है। अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी इसके लिये एक विस्तृत प्रस्ताव भेजें।

15. अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी गत एक वर्ष के PGMS जन संवाद केन्द्र एवं उपायुक्त के स्तर पर प्राप्त जन शिकायतों के आंकड़े संकलित कर बताएँ कि उनमें से कितने आंकड़े समाज कल्याण विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित रखते हैं।
16. PGMS, जन संवाद केन्द्र एवं निगरानी समिति को एकीकृत करने संबंधी सुझाव, श्री रोहित सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी द्वारा दिया गया। वे एक विस्तृत प्रस्ताव दें।
17. जिन पदाधिकारियों का सुझाव काफी अच्छा पाया जायेगा, खाद्य आयोग द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा।
18. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों द्वारा खूँटी जिले का क्षेत्रीय भ्रमण किया गया है। जिसमें यह बात सामने आई है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता आंगनबाड़ी केन्द्र के तुलना में अच्छी है। जबकि मध्याह्न भोजन का दर आंगनबाड़ी केन्द्र से कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्याह्न भोजन से संबंधित सरकारी विभागों में सरलता/Deligation/नवाचारी तत्वों का समावेश किया गया है। उपायुक्त इन दोनों विभागों से संबंधित सभी पत्रों का संकलित कर तुल्नात्मक रुप से बताएँ कि मध्याह्न भोजन में क्या खूबियाँ हैं, जिसे आंगनबाड़ी में भी अंगीकृत की जाय।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः—रा0खा0आ0 (विविध) 69/2018 — 687 राँची, दिनांकः— 20.11.18

प्रतिलिपिः— सचिव/प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग झारखण्ड रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः—रा0खा0आ0 (विविध) 69/2018 — 687 राँची, दिनांकः— 20.11.18

प्रतिलिपिः— उपायुक्त खूँटी/श्री रंजीत कुमार लाल, अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, खूँटी/श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी/श्री रहमत अली, प्रभारी डी0एस0ई0, खूँटी/डॉ0 रतन लाल मुण्डा, प्रभारी MTC, सदर अस्पताल, खूँटी/श्री रोहित सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी/डॉ0 रंजीत कुमार, प्रभारी MTC, तोरपा/डॉ0 अंशुमन शर्मा, प्रभारी MTC, कर्रा/डॉ0 रंजय कुमार बाला, प्रभारी MTC, मुरहू को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

ह0/—
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।